न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री उत्सव कौशल, आई.ए.एस.

रण संख्या 88/2018

उनवान

श्री कैलाश चन्द्र पिता मांगीलाल पारीक ब्राह्मण निवासी औजयाडा तहसील हमीरगढ —प्रार्थी

बनाम

श्रीमति कमलादेवी पत्नी लक्ष्मणलाल बाडरी नि0 औजयाडा तहसील हमीरगढ
छीतर पुत्र श्रीबेणा गाडरी नि0 औज्याडा तहसील हमीरगढ
लला आत्मज श्रीबेणा गाडरी नि0 औज्याडा तहसील हमीरगढ
डदा आत्मज कजोड गाडरी नि0 औज्याडा तहसील हमीरगढ
भैरू पुत्र बलदेव गाडरी नि0 औज्याडा तहसील हमीरगढ
सरजू बेवा बलदेव गाडरी नि0 औज्याडा तहसील हमीरगढ मृतक के बजाय कायम मुकाम
भैरू लाल पुत्र बलदेव गाडरी नि0 औज्याडा तहसील हमीरगढ
रोडा पुत्र श्रीबेणा गाडरी नि0 औज्याडा तहसील हमीरगढ मृतक के बजाय कायम मुकाम
सूरजमल पुत्र रोडा गाडरी नि0 गाडरी मोहल्ला औज्याडा तहसील हमीरगढ
शंकर पुत्र रोडा गाडरी नि0 गाडरी मोहल्ला औज्याडा तहसील हमीरगढ
किशन पुत्र भैरू गाडरी नि0 गाडरी मोहल्ला औज्याडा तहसील हमीरगढ
रतनी पुत्री भैरू गाडरी नि0 गाडरी मोहल्ला औज्याडा तहसील हमीरगढ
देबीलाल माता काली गाडरी नि0 गाडरी मोहल्ला औज्याडा तहसील हमीरगढ
पप्पूलाल माता काली गाडरी नि0 गाडरी मोहल्ला औज्याडा तहसील हमीरगढ
कालु आत्मज देवा गाडरी नि0 गाडरी मोहल्ला औज्याडा तहसील हमीरगढ
चुना पुत्र देवा गाडरी नि0 गाडरी मोहल्ला औज्याडा तहसील हमीरगढ
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 12.02.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूॅ—राजस्व अधिनियम के तहत इस कार्यालय में दिनांक 28.09.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम औज्याडा हल्का औज्याडा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र व तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि ी नम्बर 1292 रकबा 01बीघा 01 बिस्वा, आ0नं0 2141/1292 रकबा 10 बिस्वा, आ0नं0 2142/1292 01 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता वेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.09.2018 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के त्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 14 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना र प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते तेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार ख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व त किये जाते है। अतः इनत थ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम औज्याडा पटवार औज्याडा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र व तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर रकबा 01बीघा 01 बिस्वा, आ0नं0 2141/1292 रकबा 10 बिस्वा, आ0नं0 2142/1292 रकबा 01 कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 धानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/— पक्षकार प्रार्थी राजकोष में कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित र को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 12.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल होकर दाखिल दफ्तर रहे।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

Scanned by CamScanner